प्रकाशनार्थ

पटना, 6 सितंबर। नवस्थापित सरकारी फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) एवं संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित करने के क्रम में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं आद्री द्वारा संयुक्त रूप से एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज प्रारम्भ हुआ। यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में चार दिनों तक चार अलग-अलग बैचों के लिए चलेगा।

उद्घाटन सत्र में स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डा. कौशल किशोर ने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका 2022 नामक नवनिर्मित मैनुअल का लोकार्पण करते हुए इसकी उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाष डाला। उन्होंने कहा कि अधिकारी वित्तीय मामलों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। यह मैनुअल पदाधिकारियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी जिससे कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन को सुनिश्चित किया जा सके।

इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए आद्री के सदस्य-सचिव डा. प्रभात पी. घोष ने कहा कि जब सार्वजनिक सेवाओं की बात आती है तो स्वास्थ्य के मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कुशल कामकाज के लिए इसके अच्छे वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है। इसलिए वित्तीय मुद्दों से संबंधित यह मैनुअल ऐसे संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी।

स्वास्थ्य विभाग के उप-सचिव श्री शैलेश कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण आम आदमी को कोई भी काम करने के लिए साधन प्रदान करता है। लेकिन इस प्रशिक्षण के लिए इसकी व्यवस्था में पारदर्शिता भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण-समन्वयक श्री अरविंद झा ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा.

श्री विवेक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ वित्त विशेषज्ञ, आद्री ने पूरे सत्र का संचालन किया।

(अंजनी कुमार वर्मा)